प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कासगंज

सेवा में,

सूचना निदेशक
उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक /नकूखका/ नीलामी नोटिस/वर्ष 2022-23/ दिनांक / /2022

विषय- निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी सूचना (विज्ञप्ति) को प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभागीय निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की सूचना (विज्ञप्ति सं-01/2022-23) व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर के किन्ही दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों यथा अमर उजाला/दैनिक जागरण /हिन्दुस्तान एवं जनपद कासगंज अथवा उसके आस-पास के जिले से प्रकाशित एवं स्थानीय समाचार पत्र आदि में दो दिवस अन्तराल में नीलामी तिथि से पूर्व दो बार प्रकाशित कराने की कृपा करें, तथा सम्वन्धित समाचार पत्रों के सम्पादकों को यह निर्देश देने का कष्ट करें, कि नीलामी सूचना प्रकाशित पत्रों की एक-एक प्रति नीलामी तिथि से पूर्व इस कार्यालय के अभिलेखो मे पंजीकृत करने हेतु भेजने की कृपा करें।

सादर प्रेषित।

संलग्नकः- 06 अद्द(मय सी0डी0)

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कासगंज

पत्रांक /नकूखका/ नीलामी नोटिस/वर्ष 2022-23/ दिनांक / /2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) गंगा सिचाई भवन तेलीवाग लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) सिचाई विभाग विक्टोरिया पार्क मेरठ।
3. कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एवं जलसंसाधन विभाग लखनऊ।(सी0डी0 संलग्न है)।
4. अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल अलीगढ।
5. जिलाधिकारी महोदय जनपद कासगंज।
6. पुलिस अधीक्षक जनपद कासगंज।
7. अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कासगंज।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद कासगंज।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद कासगंज।
10. सहायक अभियन्ता प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय नलकूप खण्ड कासगंज।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. कैशियर लिपिक नलकूप खण्ड कासगंज।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कासगंज

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

नलकूप खण्ड कासगंज

पत्रांक /नकूखका /नीलामी/2022–23/ दिनांक– / /2022

नीलामी नोटिस संख्या–01/2022–23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नलकूप खण्ड कासगंज में उपलब्ध निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामिग्री की नीलामी दिनांक 25.08.2022 को समय पूर्वान्ह 11 वजे खण्ड की केन्दीय कार्यशाला एवं भण्डार नलकूप उपखण्ड प्रथम कासगंज में समिति द्वारा की जायेगी। निष्प्रयोज्य सामिग्री की निम्नांनुसार लॉट में नीलामी की जायेगी जिसकी बोली दाता द्वारा अलग अलग बोली लगायी जायेगी।

क सं	लाट सं	निष्प्रयोज्य सामिग्री का नाम	यूनिट	मात्रा	धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	*1*	*जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड तॉवे का तार स्क्रैप*	*मी0टन*	*2.0*	*93000.00* *तिरानवे हजार रूपये मात्र*

शर्ते।

1–उपरोक्त सामान की नीलामी लॉट वार की जायेगी। धरोहर राशि लाट वार इच्छित व्यक्ति/फार्म द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक–24.08.2022 समय चार वजे दोपहर तक बैंक ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड कासगंज के पक्ष में होगी, जिसे कैशियर के पास जमा करना होगा।

2–उच्चतम बोली दाता को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि का ड्राफ्ट (धरोहर धनराशि सहित)नीलामी के समाप्त होते ही कैशियर के पास जमा करनी होगी।

3–किसी भी बोली या समस्त बोलियों को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति नलकूप खण्ड कासगंज का होगा।

4–सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उच्चतम बोली की पूर्ण धनराशि जमा कराकर सामिग्री दी जायेगी।

5–विवादित प्रकरण न्यायालय कासगंज में ही निपटाये जायेंगें।

6–विना जमानत राशि जमा कराये कोई भी व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नही लेगा।

7–उच्चतम बोली दाता द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि सम्मिलित करते हुए)जमा न करने पर उनके द्वारा जमा धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

9–नीलामी की धनराशि पर नियमानुसार व्यापार कर अतिरिक्त देय होगा।

10–स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमें दी हुयी समयावधि अन्दर वोली दाता का सामिग्री को उठाना अनिवार्य होगा।

11– समयाबधि मे सामग्री न उठाने की दशा मे अगर सामग्री को कोई क्षति होती है तो बोली दाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

12– फर्म अथवा बोली दाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी मे भाग ले सकेगा इस के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नीलामी परिसर मे प्रवेश नही करेगा।

13– नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्ते नीलामी से पूर्व पढकर सुनायी जायेगी।

14– निर्धारित शर्तो का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।

15– अन्य शर्ते नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस मे आकर इस कार्यालय मे देखी जा सकती है।

16– फर्म/बोलीदाता के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिर्वाय है जिसकी छायाप्रति धरोहर धनराशि के साथ जमा करना अनिवार्य है अन्यथा नीलामी मे भाग नही ले सकेगा।

17– अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

18– विना कारण वताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

19– किसी भी कार्य दिवस मे उपखण्ड प्रथम मे सामिग्री सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क स्थापित कर देखी जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता

नलकूप खण्ड कागसंज।